न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/312

1. दीपाराम पुत्र रामूराम, उम्र 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी हमीरखांकाबास, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री भगवान तावणिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 18.10.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 1.05 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम राजस्व ग्राम हमीरखांकाबास, पटवारी हल्का जाबासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू में स्थित है जो अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है तथा अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज है व भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर कैम्प जाबासर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 में यह अंकन किया है कि राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राजस्थान/6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार मलसीसर द्वारा भिजवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 1.05 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम में से रकबा 0.06 हैक्टयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकित करने के आदेश प्रदान कर दिये जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित जाकर तहसीलदार की मनगढंत रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोगों को नाजयज लाभ पहूँचाने के लिये अपीलार्थी के कब्जे व खातेदारी की भूमि में से 0.06 हैक्टयर भूमि कम करने के आदेश पारित कर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किया जो आदेश न्याय नियम व रिकार्ड के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही कर दिया जाता उसके

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरान्त भी मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 1.05 हैक्टयर का अपीलान्ट रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होने तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि उसके नाम अंकित होने, भूमि पर उसका कब्जा होने तथा भूमि का उपयोग उपभोग अपीलान्ट का होना, उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी की फसल खडी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि में रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश प्रदान किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में भूमि उसके नाम अंकित है, भूमि पर उसका कब्जा है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये उसके उपरोक्त खातेदारी भूमि से रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश 18.10.2021 प्रदान कर दिया जिससे अपीलान्ट के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिये अपीलान्ट को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो रिपोर्ट किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव में आकर झूँठी रिपोर्ट तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग करके उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 पारित करवाया है जबकि नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है वहॉ मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा, ना ही मौके पर आज कायम है, आने–जाने के लिये जो रास्ता बना हुआ था वो अन्य दूसरे खातेदारों के खसरा नम्बर के बीच में से था। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर कैम्प बाजासर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में रास्ता ग्राम हमीरखांकाबसा से मुखाकाबास की रोही तक के आराजी खसरा नम्बर 162/96, 163/96, 96/100, 103, 104, 95, 35, 34, 33, 31, 107, 108, 109, 189/27, 27 से होकर गुजरता है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु मजमेआम में जॉच की गई तो मजमेआम में उपस्थित ग्रामीण व्यक्तियों ने बताया कि उपरोक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता है जो मौके पर चालू हाल में है तथा पूछताछ उपरोक्त रास्ते का बारहमासी रास्ता बताया गया इस रास्ते को राजस्व रिकार्ड दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही थी तथा सरपंच ग्राम पंचायत ने भी उपरोक्त रास्ते को सार्वजनिक हितार्थ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की परम

P.T.O.

संगमीय अदालत
जयपुर

आवश्यकता बताये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता हे कि अराजी खसरा नम्बर 95 का अपीलार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिससे अपीलार्थी प्रकरण में एक प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 15 खसरा नम्बरान में होकर गुजरने वाले बाहरमासी प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान अजमेआम में अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त बारहमासी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु ग्रामवासीयों एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उक्त रास्ते को जनहितार्थ बताये जाने पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।